



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042024-253607  
CG-DL-E-08042024-253607

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1643]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2024/चैत्र 19, 1946

No. 1643]

NEW DELHI MONDAY, APRIL 8, 2024/CHAITRA 19, 1946

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

का.आ. 1560(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 26.350 (खाती चौक) से कि.मी. 30.097 (हनुमान चौक) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पैब्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त, जम्मू को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 26.350 (खाती चौक) से कि.मी.30.097 (हनुमान चौक) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6

तालुक का नाम: अखनूर

गांव का नाम: अंम्बारन

1	1218	अन्य (शमलत-देह )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.065761 (हेक्टेयर)	0.065761
2	1222	निजी (रेसीडेंशियल)	रेसीडेंशियल	0.0050585 (हेक्टेयर)	0.0050585
3	1231	अन्य (शमलत-देह )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.058173 (हेक्टेयर)	0.058173
4	1252	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.045527 (हेक्टेयर)	0.045527
5	1253	निजी (निजी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.005058 (हेक्टेयर)	0.005058
6	1255	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.2175187 (हेक्टेयर)	0.217519
7	1261	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.055644 (हेक्टेयर)	0.055644
8	1261	निजी (निजी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.03288 (हेक्टेयर)	0.03288
9	1262	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.025292 (हेक्टेयर)	0.025292
10	1262	निजी (निजी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.045527 (हेक्टेयर)	0.045527
11	1263	निजी (निजी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.121405 (हेक्टेयर)	0.121405
12	1266	अन्य (शमलत-देह )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.091054 (हेक्टेयर)	0.091054
13	1269	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.03288 (हेक्टेयर)	0.03288
14	1269	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.020234 (हेक्टेयर)	0.020234
15	1270	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.010117 (हेक्टेयर)	0.010117
16	1271	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.03288 (हेक्टेयर)	0.03288
17	1272	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.060702 (हेक्टेयर)	0.060702
18	1273	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.063232 (हेक्टेयर)	0.063232
19	1274	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.012646 (हेक्टेयर)	0.012646
20	1284	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.07082 (हेक्टेयर)	0.07082
21	1285	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.0885251 (हेक्टेयर)	0.0885251

22	160	निजी (निजी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.037939 (हेक्टेयर)	0.037939
23	161	अन्य (शमलत-देह )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.03288 (हेक्टेयर)	0.03288
24	162	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.1037 (हेक्टेयर)	0.1037
25	162	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.075878 (हेक्टेयर)	0.075878
26	163	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.007587 (हेक्टेयर)	0.007587
27	163	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.0581735 (हेक्टेयर)	0.0581735
28	164	अन्य (शमलत-देह )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.159344 (हेक्टेयर)	0.159344
29	169	अन्य (शमलत-देह )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.2858098 (हेक्टेयर)	0.28581
30	172	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.020234 (हेक्टेयर)	0.020234
31	173	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.058173 (हेक्टेयर)	0.058173

तालुक का नाम: जम्मू नॉर्थ

गांव का नाम: रंजन

32	2450 min	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.0075878 (हेक्टेयर)	0.0075878
33	2451 min	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.041733 (हेक्टेयर)	0.041733
34	2452 min	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.037939 (हेक्टेयर)	0.037939

गांव का नाम: चक सिंधू

35	17	अन्य (शमलत-देह )	ऐग्रिकल्चर	0.055644 (हेक्टेयर)	0.055644
36	18	अन्य (शमलत-देह )	ऐग्रिकल्चर	0.055644 (हेक्टेयर)	0.055644
37	19	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.045527 (हेक्टेयर)	0.045527
38	20	सरकारी (सरकारी )	ऐग्रिकल्चर	0.010117 (हेक्टेयर)	0.010117
39	21	सरकारी (सरकारी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.025292 (हेक्टेयर)	0.025292
40	22	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.027822 (हेक्टेयर)	0.027822
41	23	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.104964 (हेक्टेयर)	0.104964
42	24	निजी (कस्टोडीअन )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.065761 (हेक्टेयर)	0.065761
43	41	निजी (कस्टोडीअन )	ऐग्रिकल्चर	0.017705 (हेक्टेयर)	0.017705
44	46	अन्य (शमलत-देह )	ऐग्रिकल्चर	0.225106 (हेक्टेयर)	0.225106
45	47	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.359158 (हेक्टेयर)	0.359158
46	50	निजी (निजी )	ऐग्रिकल्चर	0.094848 (हेक्टेयर)	0.094848
47	61	सरकारी (सरकारी )	नॉन-ऐग्रिकल्चर	0.17452 (हेक्टेयर)	0.17452
<b>Total</b>					<b>3.3500209</b>

[फा. नं.: DCJ/LA/JA Road/2021-22/396/3A]

अभय जैन, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2024

**S.O. 1560(E).**—Whereas In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Land Acquisition for upgradtion to 4-lane with paved shoulder configuration (NH 144A) from Km. 26.350 (Khati Chowk) to Km. 30.097 (Hanuman Chowk)of Jammu-Akhnoor section in the union territory of Jammu & Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Prant Officer Sub-Divisional Magistrate, Akhnoor/Jammu North in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Land Acquisition for upgradtion to 4-lane with paved shoulder configuration (NH 144A) from Km. 26.350  
(Khati Chowk) to Km. 30.097 (Hanuman Chowk)of Jammu-Akhnoor section in the union territory of  
Jammu & Kashmir**

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Akhnoor</b>					
<b>Village: Āmbaran</b>					
1	1218	Common (Shamlat-Deh )	Non-agriculture	0.065761 (Hectare )	0.065761
2	1222	Private (Residential)	Residential	0.0050585 (Hectare )	0.0050585
3	1231	Common (Shamlat-Deh )	Non-agriculture	0.058173 (Hectare )	0.058173
4	1252	Private	agriculture	0.045527 (Hectare )	0.045527
5	1253	Private	Non-agriculture	0.005058 (Hectare )	0.005058
6	1255	Private	agriculture	0.2175187 (Hectare )	0.217519
7	1261	Private	agriculture	0.055644 (Hectare )	0.055644
8	1261	Private	Non-agriculture	0.03288 (Hectare )	0.03288
9	1262	Private	agriculture	0.025292 (Hectare )	0.025292
10	1262	Private	Non-agriculture	0.045527 (Hectare )	0.045527
11	1263	Private	Non-agriculture	0.121405 (Hectare )	0.121405
12	1266	Common (Shamlat-Deh )	Non-agriculture	0.091054 (Hectare )	0.091054
13	1269	Private (custodian )	Non-agriculture	0.03288 (Hectare )	0.03288
14	1269	Private (custodian )	agriculture	0.020234 (Hectare )	0.020234
15	1270	Private (custodian )	agriculture	0.010117 (Hectare )	0.010117
16	1271	Private (custodian )	agriculture	0.03288 (Hectare )	0.03288
17	1272	Private (custodian )	Non-agriculture	0.060702 (Hectare )	0.060702
18	1273	Private (custodian )	Non-agriculture	0.063232 (Hectare )	0.063232

19	1274	Private (custodian )	Non-agriculture	0.012646 (Hectare )	0.012646
20	1284	Private (custodian )	Non-agriculture	0.07082 (Hectare )	0.07082
21	1285	Private (custodian )	Non-agriculture	0.0885251 (Hectare )	0.0885251
22	160	Private	Non-agriculture	0.037939 (Hectare )	0.037939
23	161	Common (Shamlat-Deh )	Non-agriculture	0.03288 (Hectare )	0.03288
24	162	Private (custodian )	Non-agriculture	0.1037 (Hectare )	0.1037
25	162	Private (custodian )	agriculture	0.075878 (Hectare )	0.075878
26	163	Private (custodian )	Non-agriculture	0.007587 (Hectare )	0.007587
27	163	Private (custodian )	agriculture	0.0581735 (Hectare )	0.0581735
28	164	Common (Shamlat-Deh )	Non-agriculture	0.159344 (Hectare )	0.159344
29	169	Common (Shamlat-Deh )	Non-agriculture	0.2858098 (Hectare )	0.28581
30	172	Private (custodian )	agriculture	0.020234 (Hectare )	0.020234
31	173	Private (custodian )	agriculture	0.058173 (Hectare )	0.058173

**Taluk: Jammu North****Village: Ranjan**

32	2450 min	Private (custodian )	agriculture	0.0075878 (Hectare )	0.0075878
33	2451 min	Private (custodian )	agriculture	0.041733 (Hectare )	0.041733
34	2452 min	Private (custodian )	agriculture	0.037939 (Hectare )	0.037939

**Village: Chak Singhu**

35	17	Common (Shamlat-Deh )	agriculture	0.055644 (Hectare )	0.055644
36	18	Common (Shamlat-Deh )	agriculture	0.055644 (Hectare )	0.055644
37	19	Private	agriculture	0.045527 (Hectare )	0.045527
38	20	Government	agriculture	0.010117 (Hectare )	0.010117
39	21	Government	Non-agriculture	0.025292 (Hectare )	0.025292
40	22	Private	agriculture	0.027822 (Hectare )	0.027822
41	23	Private (custodian )	agriculture	0.104964 (Hectare )	0.104964
42	24	Private (custodian )	Non-agriculture	0.065761 (Hectare )	0.065761
43	41	Private (custodian )	agriculture	0.017705 (Hectare )	0.017705
44	46	Common (Shamlat-Deh )	agriculture	0.225106 (Hectare )	0.225106
45	47	Private	agriculture	0.359158 (Hectare )	0.359158
46	50	Private	agriculture	0.094848 (Hectare )	0.094848
47	61	Government	Non-agriculture	0.17452 (Hectare )	0.17452
<b>Total</b>					<b>3.3500209</b>

[F. No. DCJ/LA/JA Road/2021-22/396/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.